

## प्रारंभिक परीक्षा

### पैमाना (PAIMANA) पोर्टल

#### संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) अपने पैमाना (PAIMANA) प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की निगरानी को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।

#### पैमाना पोर्टल के बारे में

- पैमाना (राष्ट्र-निर्माण के लिए परियोजना मूल्यांकन, अवसंरचना निगरानी और विश्लेषिकी) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक प्रमुख पहल है।
- यह अवसंरचना परियोजनाओं के एक केंद्रीकृत राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है, जो वेब-जनित विश्लेषणात्मक रिपोर्टों को सक्षम बनाता है और डेटा सटीकता तथा परिचालन दक्षता को बढ़ाता है।
- इसे API के माध्यम से DPIIT के एकीकृत परियोजना निगरानी पोर्टल (IPMP/IIG-PMG) के साथ एकीकृत किया गया है।

#### पैमाना पोर्टल की मुख्य विशेषताएं

- **केंद्रीकृत परियोजना निगरानी:** यह एक केंद्रीकृत परियोजना निगरानी प्रणाली के रूप में कार्य करता है, जो मंत्रालयों, विभागों और कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजना की जानकारी अपलोड करने, ट्रैक करने और समीक्षा करने के लिए सिंगल-विंडो इंटरफ़ेस प्रदान करता है।
- **रीयल-टाइम डैशबोर्ड:** इसमें ड्रिल-डाउन क्षमताओं के साथ रीयल-टाइम डैशबोर्ड की सुविधा है, जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न क्षेत्रों, राज्यों और समय-सीमाओं में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाता है।
- **उन्नत डेटा विश्लेषिकी:** इसमें उन्नत डेटा विश्लेषिकी, भूमिका-आधारित उपयोगकर्ता पहुंच, संवादात्मक डैशबोर्ड, रिपोर्टिंग और क्वेरी मॉड्यूल, तथा डेटा अंतराल की पहचान के लिए समीक्षा मामले शामिल हैं।
- इसे ₹150 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी करने का जनादेश प्राप्त है।

### क्वाड विदेश मंत्रियों की 11वीं बैठक

#### संदर्भ

नई दिल्ली में आयोजित 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में समुद्री सुरक्षा, ऊर्जा सुदृढ़ता और महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

#### क्वाड विदेश मंत्री बैठक के प्रमुख निर्णय

- **हिंद-प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग:** क्वाड सदस्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री निगरानी और सूचना साझाकरण को बढ़ाने पर सहमत हुए।

- यह पहल हिंद-प्रशांत देशों को लगभग रीयल-टाइम वाणिज्यिक समुद्री डेटा प्रदान करेगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा पहल:** क्षेत्रीय ऊर्जा सुदृढ़ता और आपातकालीन प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए क्वाड ने हिंद-प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पहल शुरू की।
- **महत्वपूर्ण खनिज रूपरेखा:** क्वाड भागीदार महत्वपूर्ण खनिजों के खनन, प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण में सहयोग को गहरा करने पर सहमत हुए।
  - क्वाड देशों का लक्ष्य लचीली महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए 20 बिलियन डॉलर का सरकारी और निजी निवेश जुटाना है।
- **ई-कचरा पुनर्चक्रण:** क्वाड सदस्य इलेक्ट्रॉनिक कचरे और कबाड़ से महत्वपूर्ण खनिजों की पुनर्प्राप्ति में सहयोग करेंगे।
- **हिंद-प्रशांत लॉजिस्टिक्स नेटवर्क (IPLN):** आपदा राहत और आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यों के लिए लॉजिस्टिक्स समन्वय का विस्तार किया गया।
- **ऑनलाइन घोटाला केंद्र:** क्वाड ने साइबर अपराध, तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ सहयोग को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की।
- **पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर पार्टनरशिप:** क्वाड ने फिजी में एक पायलट बंदरगाह अवसंरचना परियोजना की घोषणा की।
- **नौवहन की स्वतंत्रता:** क्वाड ने होर्मुज जलडमरूमध्य, लाल सागर और दक्षिण चीन सागर में नौवहन की स्वतंत्रता तथा निर्बाध समुद्री वाणिज्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।
- **क्वाड एट सी मिशन:** भारत अगले तटरक्षक-स्तरीय क्वाड समुद्री अभ्यास की मेजबानी करेगा।

### भारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज रूपरेखा

#### संदर्भ

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए।

#### भारत-अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज साझेदारी के बारे में

- **फ्रेमवर्क उद्देश्य:** यह महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा (रेयर अर्थ) के खनन, प्रसंस्करण, पुनर्चक्रण तथा आपूर्ति में सहयोग को सुदृढ़ करता है।
  - इसका उद्देश्य चीन के प्रभुत्व वाली खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करना है।
- **रणनीतिक महत्व:** यह सेमीकंडक्टर, ईवी (EV) बैटरी, एआई (AI) और नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगों का समर्थन करता है।
- **निवेश सहयोग:** महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में सार्वजनिक और निजी निवेश को प्रोत्साहित करता है।
- **पुनर्चक्रण पर ध्यान:** ई-कचरे और औद्योगिक स्क्रेप से खनिजों की पुनर्प्राप्ति को बढ़ावा देता है।
- **नियामक समन्वय:** दोनों देशों का लक्ष्य आसान आपूर्ति श्रृंखला पहुंच के लिए नियमों और मानकों को संरेखित करना है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा संपर्क:** महत्वपूर्ण खनिजों को आर्थिक और रक्षा सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया है।

**महत्वपूर्ण खनिजों पर भारत-अमेरिका की अन्य पहलें**

पहल	शुभारंभ/वर्ष	प्रमुख विशेषताएं
ट्रस्ट (TRUST) पहल	2025	इसका पूरा नाम ट्रांसफॉर्मिंग द रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है; पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान शुरू की गई; महत्वपूर्ण खनिजों, सेमीकंडक्टर्स, AI और विश्वसनीय प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर केंद्रित है।
फोर्ज (FORGE)	फरवरी 2026	अमेरिका द्वारा शुरू किया गया फोरम ऑन रिसोर्स जियोस्ट्रैटेजिक एंजमेंट; भारत ने रणनीतिक खनिज और संसाधन सुरक्षा पर सहयोग के लिए साझेदारी की।
पैक्स सिलिका पहल	फरवरी 2026	भारत लचीली सेमीकंडक्टर, एआई और महत्वपूर्ण-खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हुआ।
रणनीतिक खनिज पुनर्प्राप्ति पहल	2025	औद्योगिक कचरे, कोयले की राख और खनन क्षेत्रों से लिथियम, कोबाल्ट और दुर्लभ मृदा तत्वों की पुनर्प्राप्ति के लिए भारत-अमेरिका पहल।

**सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंबल वन रक्षकों की सुरक्षा के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग**

**संदर्भ**

हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैले राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया।

**सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्देश**


- न्यायालय ने तीनों राज्यों को खनन-विरोधी अभियानों के दौरान वन रक्षकों द्वारा की गई सद्भावपूर्ण कार्रवाइयों के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 218(3) के तहत उन्मुक्ति प्रदान करने की जांच करने को कहा।
  - इसी तरह की सुरक्षा अशांत क्षेत्रों में कार्यरत सशस्त्र बलों के कर्मियों को उपलब्ध है।
- न्यायालय ने राज्यों को क्षेत्र-स्तर के वन कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, एक वर्ष के भीतर वन विभागों में रिक्तियों को भरने, और खनन-संभावित क्षेत्रों में गश्त व निगरानी में सुधार करने का निर्देश दिया।
- न्यायालय ने संरक्षित क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने, लाइव-स्ट्रीमिंग निगरानी तंत्र और अवैध खनन गतिविधियों की रीयल-टाइम निगरानी के माध्यम से तकनीकी निगरानी का निर्देश दिया।

**अनुच्छेद 142 और "पूर्ण न्याय" के बारे में**

- **विवरण:** अनुच्छेद 142 सर्वोच्च न्यायालय को उसके समक्ष लंबित मामलों में "पूर्ण न्याय" करने के लिए आवश्यक कोई भी डिक्री या आदेश पारित करने का अधिकार देता है।
- **पूर्ण न्याय:** इस अनुच्छेद का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय व्यापक रूप से प्रदान किया जाए, तथा उन स्थितियों का समाधान किया जाए जहां वैधानिक प्रावधान अपर्याप्त हो सकते हैं।
- **विवेकाधीन प्रकृति:** इस अनुच्छेद के तहत शक्तियां विवेकाधीन हैं, जिसका अर्थ है कि न्यायालय प्रत्येक मामले की विशिष्टताओं के आधार पर यह चुन सकता है कि उन्हें कब और कैसे प्रयोग करना है।

**अनुच्छेद 142 से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय**

- **विधेयकों पर तमिलनाडु के राज्यपाल की निष्क्रियता का मामला (2025):** सर्वोच्च न्यायालय ने एक संवैधानिक संकट से निपटा जहां तमिलनाडु के राज्यपाल ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 10 विधेयकों पर अनिश्चित काल के लिए सहमति रोक दी थी।
  - **महत्व:** सर्वोच्च न्यायालय ने "पूर्ण न्याय" सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया और यह माना कि राज्यपाल की लंबे समय तक निष्क्रियता असंवैधानिक थी।
- **शिल्पा शैलेश बनाम वरुण श्रीनिवासन (2023):** सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि वह अनुच्छेद 142 के तहत "विवाह के अपूरणीय टूटन" के आधार पर सीधे तलाक दे सकता है।
  - **महत्व:** यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय को हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा निर्धारित सामान्य प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को दरकिनार करने की अनुमति देता है, जिसमें आमतौर पर आपसी सहमति से तलाक के लिए कूलिंग-ऑफ अवधि शामिल होती है।
- **चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव (2023):** इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव परिणामों को पलट दिया और यह सुनिश्चित किया कि चुनावी लोकतंत्र को बरकरार रखा जाए।
  - **महत्व:** यह मामला दर्शाता है कि चुनावी प्रक्रियाओं में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं को सुधारने के लिए अनुच्छेद 142 का उपयोग कैसे किया जा सकता है।



## मुख्य परीक्षा

### भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की भेद्यता

#### संदर्भ

हाल के अध्ययनों और साइबर-सुरक्षा रिपोर्टों ने साइबर हमलों और IoT-आधारित व्यवधानों के प्रति भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रणालियों की बढ़ती भेद्यता को उजागर किया है।

#### महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की उभरती भेद्यता

- **कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार:** इंटरनेट से IoT और AI से जुड़े पावर ग्रिड, बांधों और ईंधन परिवहन प्रणालियों का बढ़ता उपयोग, जिससे वे दूरस्थ साइबर हमलों के लिए आसान लक्ष्य बन जाते हैं।
  - उदाहरण के लिए स्मार्ट ग्रिड, स्वचालित बांध, जीपीएस-सक्षम ईंधन रसद और स्वचालित निगरानी प्रणाली
- **OT और ICS प्रणालियों में कमजोर सुरक्षा:** औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली (ICS) और परिचालन प्रौद्योगिकी (OT) में अक्सर मजबूत साइबर सुरक्षा का अभाव होता है।
  - उदाहरण के लिए हमलावर जल-उपचार अंशांकन को बदल सकते हैं और शुद्धिकरण प्रणालियों को बाधित कर सकते हैं
- **सरकारी प्रणालियों का एक्सपोजर:** कमजोर सरकारी सर्वर और निगरानी प्रणालियाँ फ़िशिंग, जासूसी और गलत सूचना के जोखिम को बढ़ाती हैं।
  - उदाहरण के लिए सरकारी मेल-सर्वर विवरण और सेंट्रल व्यू डैशबोर्ड से लाइव सीसीटीवी फीड 2021 में ऑनलाइन उजागर किए गए थे
- **महत्वपूर्ण ऊर्जा अवसंरचना जोखिम:** ईंधन और गैस परिवहन प्रणालियाँ तेजी से दूरस्थ व्यवधान के प्रति संवेदनशील कनेक्टेड डिजिटल सिस्टम पर निर्भर करती हैं।
  - उदाहरण के लिए जीपीएस ट्रैकिंग और ओटीपी-आधारित ईंधन टैंकर ई-लॉक सिस्टम अब महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु
- **आयातित IoT डिवाइस जोखिम:** असत्यापित आयातित सेंसर, कैमरे और संचार उपकरणों का उपयोग छिपी हुई पिछले दरवाजे की कमजोरियाँ पैदा कर सकता है।
  - उदाहरण के लिए ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं में उपयोग किए जाने वाले चीनी निर्मित जीपीएस-सक्षम ताले)
- **अपर्याप्त प्रमाणन तंत्र:** सुरक्षा प्रमाणन केवल सीमित डिवाइस श्रेणियों के लिए मौजूद है।
  - उदाहरण के लिए STQC प्रमाणन मुख्य रूप से कैमरों के लिए उपलब्ध है, सभी IoT उपकरणों के लिए नहीं)
- **मानवीय त्रुटि और खराब साइबर स्वच्छता:** कमजोर पासवर्ड, पुराने सॉफ्टवेयर और खराब कॉन्फ़िगरेशन प्रथाएं उल्लंघनों के प्रमुख कारण बने हुए हैं।
  - उदाहरण के लिए, भारत ने डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स (फ़ैक्टरी-सेट उपयोगकर्ता नाम और उपकरणों को दिए गए पासवर्ड) का उपयोग करके 13 महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन दर्ज किए - अध्ययन किए गए 20 देशों में सबसे अधिक)

- **इंटरकनेक्टेड इन्फ्रास्ट्रक्चर जोखिम:** एक क्षेत्र में विफलता बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार और परिवहन नेटवर्क में व्यापक व्यवधान पैदा कर सकती है।
- **राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमले आर्थिक स्थिरता, शासन और संप्रभुता को प्रभावित कर सकते हैं।
  - उदाहरण के लिए 2020 मुंबई बिजली आउटेज कथित तौर पर भारत के पावर ग्रिड को लक्षित करने वाले चीनी मैलवेयर से जुड़ा हुआ है

### महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए सरकार के उपाय

- **CERT-In:** इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉंस टीम साइबर-सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है।
- **NCIIPC:** राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र बिजली, बैंकिंग, दूरसंचार और परिवहन जैसे रणनीतिक क्षेत्रों की रक्षा करता है।
- **राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति:** साइबरस्पेस और महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए रूपरेखा प्रदान करती है।
- **साइबर सुरक्षित भारत पहल:** सरकारी विभागों में साइबर-सुरक्षा जागरूकता और क्षमता निर्माण को बढ़ाता है।
- **STQC प्रमाणन:** निगरानी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सुरक्षा परीक्षण और प्रमाणन पेश किया गया।
- **विश्वसनीय दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन:** सरकार आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी और विश्वसनीय डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दे रही है।

### सरकारी उपायों के बावजूद संरचनात्मक मुद्दे

- **कमजोर नीति प्रवर्तन:** मौजूदा IoT और साइबर-सुरक्षा दिशानिर्देशों को अक्सर सार्वजनिक उपक्रमों और स्थानीय एजेंसियों में खराब तरीके से लागू किया जाता है।
- **टेम्पलेट-आधारित खरीद:** खरीद प्रणालियाँ गहन सुरक्षा ऑडिट और डिजाइन सत्यापन के बजाय अनुपालन कागजी कार्रवाई को प्राथमिकता देती हैं।
- **सीमित स्वदेशी पारिस्थितिकी तंत्र:** आयातित हार्डवेयर और घटकों पर निर्भरता रणनीतिक भेद्यता को बढ़ाती है।
- **खंडित संस्थागत समन्वय:** कई एजेंसियां सीमित एकीकृत प्रतिक्रिया तंत्र के साथ साइबर-सुरक्षा को संभालती हैं।
- **कुशल कार्यबल की कमी:** भारत को विशेष साइबर-सुरक्षा और औद्योगिक साइबर-रक्षा पेशेवरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
- **धीमी प्रमाणन प्रक्रियाएं:** IoT उपकरणों के लिए सुरक्षा प्रमाणन सीमित, लंबा और असमान रूप से लागू रहता है।

### आगे की राह

- **ओटी और आईओटी सुरक्षा को मजबूत करना:** आईटी सिस्टम से परे औद्योगिक नियंत्रण और जुड़े बुनियादी ढांचे तक साइबर-सुरक्षा मानकों का विस्तार करना।
- **अनिवार्य सुरक्षा ऑडिट:** महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के लिए समय-समय पर भेद्यता आकलन और रेड-टीम परीक्षण करें।

- **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना:** संवेदनशील क्षेत्रों में असत्यापित आयातित हार्डवेयर पर निर्भरता कम करना।
- **एकीकृत राष्ट्रीय साइबर फ्रेमवर्क:** वास्तविक समय प्रतिक्रिया के लिए सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी ऑपरेटरों के बीच समन्वय में सुधार करना।
- **एआई-आधारित खतरे का पता लगाना:** शीघ्र विसंगति और घुसपैठ का पता लगाने के लिए एआई-सक्षम निगरानी प्रणाली तैनात करें।
- **कुशल कार्यबल का निर्माण करें:** SCADA, औद्योगिक साइबर-सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक में विशेष प्रशिक्षण का विस्तार करें।

### दलबदल विरोधी कानून

#### संदर्भ

राज्यसभा और तमिलनाडु विधानसभा में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों ने एक बार फिर भारत के दल-बदल विरोधी ढांचे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में ला दिया है।

#### हाल ही में दलबदल विवाद

- **राज्यसभा में विलय और दल-बदल:** आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों ने कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के लिए दसवीं अनुसूची के तहत "विलय" के प्रावधान का प्रयोग किया, जिससे यह संवैधानिक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या मूल राजनीतिक दल की सहमति के बिना केवल विधायक/सांसद किसी अन्य दल के साथ विलय कर सकते हैं।
- **तमिलनाडु में इस्तीफा और अयोग्यता का मुद्दा:** तमिलनाडु में AIADMK विधायकों के इस्तीफे, जो बाद में सत्तारूढ़ तमिझागा वेत्ती कड़गम(TVK) में शामिल हो गए, ने इस बहस को पुनर्जीवित कर दिया है कि क्या इस्तीफा दल-बदल विरोधी कानून के तहत लंबित अयोग्यता की कार्यवाही को शून्य (रद्द) कर सकता है।

#### दसवीं अनुसूची के बारे में

1985 में 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई दसवीं अनुसूची में विभिन्न विशेषताएं शामिल हैं:

#### अयोग्यता के आधार

- एक विधायक अपनी सीट खो सकता है यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है।
- एक सदस्य जो पार्टी के विहप के खिलाफ सदन में मतदान करता है या अनुपस्थित रहता है, उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- निर्दलीय विधायक चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित कर दिए जाते हैं।
- मनोनीत सदस्य अपनी सीट खो देंगे यदि वे विधायिका में प्रवेश करने की तारीख से छह महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होते हैं।

#### कानून में अपवाद

- एक राजनीतिक दल कानूनी रूप से दूसरे के साथ विलय कर सकता है यदि उसके दो-तिहाई विधायक विलय का समर्थन करते हैं। (कानून का पैराग्राफ 4)

- ऐसे विलय करने वाले समूह और पीछे रहने वाले समूह दोनों को अयोग्यता से संरक्षण प्राप्त है।
- कानून पीठासीन अधिकारियों (अध्यक्ष, अध्याय, उपाध्यक्ष) को अयोग्यता से छूट देता है यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान अपनी पार्टी से इस्तीफा देते हैं या अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद फिर से शामिल होते हैं, जिससे कार्यालय की तटस्थता और गरिमा सुनिश्चित होती है।
- राष्ट्रपति चुनाव में होने वाले वोटों पर दलबदल विरोधी प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

#### अयोग्य घोषित करने का अधिकार

- अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला देने के लिए सदन के अध्यक्ष या सभापति जिम्मेदार होते हैं।
- यदि आरोप पीठासीन अधिकारी के खिलाफ है, तो सदन द्वारा चुना गया कोई अन्य सदस्य निर्णय लेता है।

#### सुप्रीम कोर्ट के मामलों

- **सुभाष देसाई बनाम प्रधान सचिव, महाराष्ट्र के राज्यपाल (2023):** सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि:
  - विधायक दल अपने मूल राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते
  - निर्वाचित प्रतिनिधि चुनाव के बाद भी मूल पार्टी से राजनीतिक रूप से जुड़े रहते हैं
- **श्रीमंत बालासाहेब पटेल केस (2019):** कर्नाटक के राजनीतिक संकट के दौरान, सरकार को अस्थिर करने के इरादे से दलबदल के आरोपों के बीच कई विधायकों ने इस्तीफा दे दिया।
  - **अध्यक्ष की सीमित भूमिका:** न्यायालय ने माना कि त्यागपत्र पर विचार करते समय, अध्यक्ष केवल यह जांच कर सकता है कि इस्तीफा स्वैच्छिक और वास्तविक है या नहीं और अध्यक्ष राजनीतिक उद्देश्यों या बाहरी विचारों की जांच नहीं कर सकता है।
  - **इस्तीफा दलबदल को नहीं मिटाता है:** अयोग्यता का "कलंक" केवल इसलिए गायब नहीं होता है क्योंकि एक विधायक निर्णय से पहले इस्तीफा दे देता है। दलबदल उस तारीख से संबंधित है जिस दिन अयोग्यता का कार्य हुआ था।

#### दलबदल विरोधी ढांचे का महत्व

- **राजनीतिक स्थिरता:** बार-बार दलबदल सरकारों को कमजोर करता है, प्रशासन को बाधित करता है और गठबंधन की राजनीति में अस्थिरता पैदा करता है।
  - जैसे: आया राम, गया राम
- **चुनावी जनादेश:** मतदाता बड़े पैमाने पर पार्टी की विचारधारा, नेतृत्व और घोषणापत्र प्रतिबद्धताओं के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव करते हैं। इसलिए दलबदल सार्वजनिक जनादेश को विकृत कर सकता है।
- **लोकतांत्रिक जवाबदेही:** राजनीतिक दल संसदीय लोकतंत्र के केंद्र में रहते हैं। पार्टी अनुशासन को कमजोर करने से राजनीतिक अवसरवाद और अस्थिरता को बढ़ावा मिल सकता है।
- **जनता का विश्वास बनाए रखना:** अनैतिक दलबदल लोकतांत्रिक संस्थानों और विधायी नैतिकता के बारे में सार्वजनिक निंदक पैदा करते हैं।

### वर्तमान ढांचे में चुनौतियां

- **अत्यधिक पार्टी नियंत्रण:** पार्टी व्हिप को सख्ती से लागू करने से विधायकों के बीच स्वतंत्र सोच कम हो सकती है और विचारशील लोकतंत्र कमजोर हो सकता है।
- **निर्णय लेने में देरी:** वक्ता अक्सर राजनीतिक कारणों से दलबदल विरोधी निर्णयों में देरी करते हैं, जिससे तटस्थता और निष्पक्षता प्रभावित होती है।
- **अध्यक्ष की तटस्थता पर प्रश्न:** चूंकि अध्यक्ष आमतौर पर एक राजनीतिक दल से संबंधित होता है, इसलिए अयोग्यता के मामलों में निर्णय लेने में निष्पक्षता के बारे में चिंताएं उत्पन्न होती हैं।
- **कानूनी अस्पष्टता:** संविधान स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करता है:
  - क्या विधायक दल स्वतंत्र रूप से विलय कर सकते हैं
  - क्या इस्तीफे से स्पीकर का अधिकार क्षेत्र खत्म हो जाता है

### निष्कर्ष

दलबदल विरोधी कानून का उद्देश्य केवल राजनीतिक व्यवहार को विनियमित करना नहीं था, बल्कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की अखंडता को बनाए रखना था। न्यायिक स्पष्टता, संस्थागत तटस्थता और प्रक्रियात्मक सुधार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होंगे कि संवैधानिक नैतिकता राजनीतिक सुविधाओं से अधिक मजबूत बनी रहे।

